@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- दिनांक- 24.11.23

थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस व एस0ओ0जी0 शाहजहाँपुर की संयुक्त टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई । अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 35 वर्ष 2.सलीम पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फरनगर उम्र 32 वर्ष 3.आस मोहम्मद उर्फ बोडा पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फरनगर उम्र 22 वर्ष को मय दिनांक 14.11.2023 को थाना रामचन्द्र मिशन से चोरी गये ट्रक व एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर ,व 02 अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुधीर कुमार जायसवाल (पुलिस अधीक्षक नगर) एंव श्री बी.एस.वीर कुमार (क्षेत्राधिकारी नगर) के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम को मिली बड़ी सफलता ।

दिनांक 14.11.2023 को अज्ञात चोरो द्वारा नेशनल ढावा के पास से एक **ट्रक संख्या एच.पी.38 जी 1659** को चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में थाना रामचन्द्र मिशन पर वादी श्री साजिद पुत्र वदरुद्दीन निवासी गढी दौलत थाना काँधला जनपद शामली की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 418/23 धारा 379 आईपीसी वनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री शिवम कुमार को सुपुर्द की गयी। ट्रक की बरामदगी व घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन व एस0ओ0जी0 शाहजहाँपुर की संयुक्त टीम गठित कर ट्रक की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर शीघ्र घटना के अनावरण हेतु प्रभावी दिशा-निर्देश दिये। जिसके क्रम गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी पतारसी, सुरागरसी व इलैक्ट्रानिक सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व मैनुअल इनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित करने में अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर 2.सलीम पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर 3.आस मोहम्मद उर्फ बोडा पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर 4. सादिक उर्फ शमीम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर प्रकाश में आये। जिन्हे दौराने चैकिंग दिनांक 24.11.2023 की रात्रि में समय करीव 5.00 बजे फ्लाई ओवर मेजबान अण्डरपास से पहले ओवरब्रिज से करीव 100 मीटर पहले महालक्ष्मी ढाबा के सामने से उक्त ट्रक को अभियुक्तों द्वारा असली नम्बर प्लेट हटाकर दूसरे ट्रक की फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेंचने हेतु बिहार ले जाते समय मय अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर 2.सलीम पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर 3.आस मोहम्मद उर्फ बोडा पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर के साथ गिरफ्तार कर बरामद किया गया तथा तीनों अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः अभियुक्त शहजाद के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व अभियुक्त सलीम व आस मोहम्मद के कब्जे से एक-एक अदद चाकू मय ट्रक नम्बर HP 38 G 1659 के कागजातों की छायाप्रति व एक पुरानी नम्बर प्लेट व ट्रक पर लगे दूसरे ट्रक नम्बर HP 38 H 0840 के कागजातों की छायाप्रतियों के साथ गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया तथा ट्रक बरामदगी के आधार पर थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 418/23 धारा 379 आईपीसी में धारा 411/420/467/468/471 आईपीसी की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तों के कब्जे से बरामदा नाजायज अस्लाहों के संबंध में धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्त सादिक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त.........

1. शहजाद पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 35 वर्ष
2.सलीम पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 32 वर्ष

3.आस मोहम्मद उर्फ बोडा पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 22 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

1. मु0अ0सं0 418/23 धारा 379/411/420/467/468/471 आईपीसी

1.मु0अ0सं0 427/23 धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट

<u>बरामदगीः-</u>

अभियुक्तगणों के कब्जे से मु0अ0स0 418/23 धारा 379 आईपीसी में चोरी गया ट्रक संख्या एच.पी.38 जी 1659 व एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद नाजायज चाकू बरामद हुए।

<u>गिरफ्तारी का दिनांकः-</u> 24.11.2023 समय 05.00 बजे प्रातः

<u>गिरफ्तारी का स्थानः-</u> मेजबान अण्डरपास वाले फ्लाईओवर से पहले महालक्ष्मी ढाबा से पहले हाईव बरेली-सीतापुर रोड़

<u>अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त शहजाद पुत्र स्व0 रहमत अली निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 35 वर्ष

1- मु0अ0स0 122/19 धारा 420,465, आईपीसी व 63 आवकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर

2-मु0अ0सं0 157/19 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर

3- मु0अ0सं0 548/21 धारा 379 आईपीसी थाना खतौली जनपद मुजफ्फर नगर

अभियुक्त सलीम पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 32 वर्ष

1- मु0अ0स0 260/2011 धारा 376,506, आईपीसी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर

अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ बोडा पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ मुजफ्फर नगर उम्र 22 वर्ष

1- मु0अ0स0 82/22 धारा 379,411 आईपीसी थाना कैराना जनपद शामली

2- मु0अ0स0 62/22 धारा 120बी,395,412, आईपीसी थाना झीझाना जनपद शामली

3- मु0अ0स0 137/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना झीझाना जनपद शामली

4- मु0अ0स0 214/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना झीझाना जनपद शामली

<u>पुलिस पार्टी –</u>

1. उ0नि0 श्री शिवम कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।
2. का0 2553 प्रिंस जाखड थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2489 हिमांशू नागर थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2817 मनोज कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।
5. श्री रीतेन्द्र प्रताप सिहं (प्रभारी एस0ओ0जी0टीम)
6. उ0नि0 श्री राजारामपाल सिंह (एस0ओ0जी0 टीम)
7. हे0का0 467 खालिद हुसैन (एस0ओ0जी0 टीम)
8. हे0का0 243 मोहम्मद तौसीम हैदर (एस0ओ0जी0 टीम)
9. का0 1943 कमलकुमार(एस0ओ0जी0 टीम)
10. का0 1435 दिलीप कुमार (एस0ओ0जी0 टीम)
11. हे0का0 245 कपिल ठाकुर (एस0ओ0जी0 टीम चालक)
12. का0 शिवम कुमार (सर्विलान्स सेल)
13. का0 प्रभात कुमार (सर्विलान्स सेल)

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त शहजाद ने बताया कि ट्रक नं0 HP 38 G 1659 जो कि पहले उसके बड़े भाई जाकिर पुत्र फरजन्द का था। उसके भाई ने उस ट्रक को करीब दो साल पहले श्री साजिद पुत्र वदरुद्दीन निवासी गढी दौलत थाना काँधला जनपद शामली को बेच दिया था तथा यह ट्रक उसके साले नौशाद की देखरेख में चलता था। शहजाद ने बताया कि वह भी पेशे से ड्राईवर है। इसी कारण उसकी जान पहचान उस ट्रक के ड्राईवर व ट्रान्सपोर्टर नौशाद से है। क्योंकि यह लोग अक्सर साथ-साथ बिहार, बंगाल लेकर जाते है। करीब 20 दिन पहले उसे इस बात की जानकारी हुई कि ट्रक नं0 HP 38 G 1659 का ड्राईवर जिला शामली से माल लेकर बिहार गया था और बाद में माल खाली करके उधर से सरिया लेकर पलिया की तरफ आया था तथा सरिया उतारने के बाद उसे दूसरा भाड़ा नहीं मिला तो वह भाडे की तलाश में शाहजहाँपुर अपने खाली ट्रक को लेकर आ गया। ड्राईवर की तबीयत खराब हो गयी वह अपने ट्रक पर अपने लड़को याकूब व क्लीनर को छोड़कर घर चला गया। मुझे इस बात की जानकारी हो गयी कि नौशाद का ट्रक शाहजहाँपुर में भाड़े के इंतजार में खड़ा है। उस पर केवल दो लड़के है। तब मैनें अपने ही गाँव के 01. सलीम पुत्र फरजन्द जो कि मेरे साथ ट्रक पर कन्डक्टरी करता है व अपने गाँव के आस मोहम्मद पुत्र इमामुद्दीन व सादिक पुत्र इस्लाम के साथ अपने गाँव में इस ट्रक को चोरी करने की योजना बनायी और दिनांक 13.11.2023 को हम लोग अपने गाँव से बस से बिजनौर आये और वहाँ से रात में ट्रेन से शाहजहाँपुर पहुँचे। सुबह हम चारों मिश्रीपुर ढाबे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उक्त ट्रक नेशनल ढाबे के पास खड़ा था। हम चारों शाम तक इधर-उधर घूमकर मौके की तलाश में अपना टाइम काटते रहे और दिनांक 14.11.2023 को शाम के समय मौका मिलने पर जब दोनों लड़के ट्रक से अलग थे। हम सभी ने मिलकर उस ट्रक को वहाँ से स्टार्ट करके फरीदपुर, बदाँयू, संभल, चन्दौसी के रास्ते से सभी टोल बचाते हुए मुजफ्फरनगर की तरफ ले गये। रास्ते में हमने ट्रक की असली नम्बर प्लेटें तोड़कर नदी में फेंक दी और गाड़ी के कागज भी सुनसान जगह पर मौके देखकर जला दिये तथा ट्रक का चेचिस नम्बर हम लोगों ने रेती व रेगमार से रगड़ कर खुरच कर मिटा दिया था। ताकि उसकी पहचान न हो। उसके बाद हम लोग ट्रक को बेचने के लिये पंजाब में सरहिन्द की तरफ ले गये। वहाँ मेरे पास एक गाड़ी नम्बर HP 38 H 0840 के कागजों की छायाप्रति थी। क्योंकि इस ट्रक को पहले मैंने एक-दो बार चलाया था। इस कारण हम लोगों ने इसी नम्बर की नम्बर प्लेंटे अपने साथ ही सादिक की मदद से बनवा ली थी जो कि हमने ट्रक पर आगे – पीछे लगा ली तथा इंजन के उपर जो प्लेट लगी होती है। उसे भी बनवाकर लगा दिया था। लेकिन हम लोगों को चेचिस पर नम्बर खुदवानें वाला कोई मिस्त्री नहीं मिल पाया तथा हमें यह भी पता चल गया कि पुलिस ट्रक की तलाश में मेरठ, मुजफ्फरनगर भी पहुंच गयी है तब मेरा साथी सादिक जिसकी तबीयत खराब हो गयी थी। वह अपने घर चला गया और मैं मेरा दूसरा साथी सलीम व आस मोहम्मद इस ट्रक को कि कहीं पुलिस हमें न पकड़ ले। इस कारण बिहार बेचने के लिये लेकर जा रहे थे। क्योंकि मैं गाड़ी लेकर बिहार आता-जाता हूँ। वहाँ मेरी कई मिस्त्रियों से जान-पहचान भी है। मुझे भरोसा था कि वहाँ ट्रक पर दूसरा चेचिस नम्बर गुद जायेगा और हम लोग इस ट्रक को अच्छे दामों में बेंचकर आपस में रूपये बाँट लेगें। कि आज रात्रि में शाहजहाँपुर, सीतापुर होते हुए इस ट्रक को दूसरे ट्रक की फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बिहार में बेंचने के लिये मैं व मेरा साथी सलीम व आस मोहम्मद लेकर जा रहे थे। पकड़े गये सलीम व आस मोहम्मद ने भी शहजाद की बातों का समर्थन किया।